चित्रकूट-पुलिस

(1).

!!□प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस!!□

“मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-05.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

थाना भरतकूप पुलिस टीम द्वारा पंचायत भवन ग्राम तरांव में जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना भरतकूप पुलिस टीम निरीक्षक श्री अभयराज, उ0नि0 अरविन्द कुमार, आरक्षी आदर्श गुप्ता, महिला आरक्षी अंजू वर्मा, महिला आरक्षी श्रुतिका द्वारा पंचायत भवन ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में जनचौपाल लगाकर“मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद

महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).

जय हिंद सर

दिनांक 04.10.2025 को सायं 6:00 बजे रहीसुद्दीन बानो पत्नी इमाम बख्श निवासी ग्राम गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट, जो रोड के किनारे बकरी चला रही थी जिसको अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था मौके पर स्थानीय व्यक्तियों तथा भरतकूप पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था जिसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। अस्पताल प्राप्त के मेमो के आधार पर पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। घटना के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है

सादर सूचनार्थ

3. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र कृपाशंकर निवासी मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

4. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी या व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु चलाया जाए अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा ने 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0स0 01/2017 धारा 498ए,323,504,506 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट महिला थाना कर्वी के आरोपी अभियुक्त तुलसी पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी कुचौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री बलवन्त यादव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट मय हमराह मुख्य आऱक्षी शैलेन्द्र द्वारा मु0अ0स0 287/12 धारा 498ए,323 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के आरोपी अभियुक्त रामबाबू पुत्र पुनीवा निवासी टिटिहरा थाना भऱतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन द्वारा मु0अ0स0 20/16 धारा 147,323,325,504 भादवि थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के आरोपी अभियुक्त जानकी डोमार पुत्र बडे डोमार निवासी मऊ गुरदरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(4). निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह थाना मऊ जनपद चित्रकूट,उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द,उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह आरक्षी बृजेन्द्र द्वारा मु0अ0स0 28/17 धारा 323,504 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट के आरोपी अभियुक्त 1.राधेकेश पुत्र भोला 2. सवालिया पुत्र भोला निवासीगण कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(5). उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना मऊ जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी मनीष यादव आऱक्षी नंदलाल द्वारा मु0अ0स0 56/20 धारा 452,376 डी,392 भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के आरोपी अभियुक्त रज्जू यादव पुत्र फूलचन्द्र निवासी खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”
दिनांक-05.10.2025
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”
जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीमों द्वारा स्कूल,कॉलेज व में ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा स्कूलों,कॉलेजों एवं ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल लगाकर“मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(7). आज दिनांक 05.10.2025 को साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी आमजन को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(8). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-05.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

थाना कोतवाली कर्वी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जनसेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कसहाई में जनचौपाल आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0’ के सम्बन्ध में जागरुक किया गया

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली कर्वी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जनसेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कसहाई में जनचौपाल लगाकर“मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं

बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

9. आज दिनांक 05.10.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस. द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में दीपावली मेले की तैयारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय ने श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान लाइटिंग, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र पूर्ण रूप से तैयार करने हेतु बताया गया साथ ही साथ मंदाकिनी नदी में बैरिकेटिंग,नाव,साफ-सफाई,ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द्र वर्मा,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

10. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मु0अ0स0 20/2016 धारा 147,323,325,504 भादवि के वारण्टी अभियुक्त जानकी डोमार पुत्र बड़े डोमार निवासी ग्राम मऊ दुरदरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय थाना मानिकपुर
2.आरक्षी अजीजउद्दीन

11. आज दिनाँक 05.10.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस. द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर,महिला हेल्पडेस्क/साइबर हेल्प डेस्क के रजिस्टरों का अवलोकन कर रजिस्टरों को पूर्ण कराये जाने तथा प्रतिदिन महिला एण्टीरोमियों टीम को थाना क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु बताया गया तथा थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात एवं सीसीटीवी को चेक कर निरीक्षण कर किया गया। थानाध्यक्ष पहाड़ी को रजिस्टरों की उचित रखरखाव,अपराध रजिस्टर,त्यौहार रजिस्टर को देखा गया तथा अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

12. आज दिनाँक 05.10.2025 को आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा एवं थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी की उपस्थिति में कस्बा पहाड़ी के बस स्टैण्ड एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के

दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।